O/C

PBVY
प्रगती बाल विकास योजना

प्रगति बाल विकास योजना

रजि. सं.-705

कार्यालय: लवकुशनगर खानपुर, बैजनाथपुर, अहियापुर, मुजफ्फरपुर-842001 (बिहार)
E-mail : info@pbvy.org
Website : www.pbvy.org

पत्रांक PBVY/10/19891 / BR

दिनांक 06/07/2021

Government of Bihar
Chief Minister Secretariat
Date-15/07/2021
2021038969
http://cmsonline.bihar.gov.in

सेवा में ,

मुख्यमंत्री ,बिहार सरकार
4 देश रतन मार्ग ,
पटना -८००००१

विषय:- प्रगति बाल विकास योजना संस्था द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यकर्मो में प्रोत्साहन करने के संबंध में ।

महोदय,

हमारी संस्था प्रगति बाल विकास योजना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, १८८२ के अंतर्गत दिल्ली से अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या ७०५ है । बिहार प्रदेश में मुख्य शाखा कार्यालय, लवकुश नगर खानपुर, मिर्जापुर, अहियापुर, मुजफ्फरपुर-८४२००१ में स्थित है । हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो में शिक्षा का बढ़ावा देना है । जिसके अंतर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों के विभिन्न पंचायतो में निम्नांकित कार्यक्रम चला रही है । इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से जिले के जिला पधाधिकारी एवं विभिन्न प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को अपेक्षित सहयोग देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए ।

चलाये जा रहे कार्यकर्म का बेयोरा निम्नवत है ।

१. बाल विवाह जागरूकता अभियान:- बाल विवाह से उत्पन्न विकृतियों और सामाजिक बुराइयों के प्रति आम नागरिक को जागरूक करना इसके लिए हमारे कार्यकर्ता राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर जागरूकता शिविर, संगोष्ठी और नुक्कड़ नाटक एवं सभा के माध्यम से लोगो को जागरूकता करते है ।

२. कोचिंग सेंटर:- गरीब परिवार के बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर तक की कोचिंग की व्यवस्था की गई है जो राज्य के विभिन्न जिलों में कार्य कर रही है ।

३. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो में प्रगति बाल विद्यालय के माध्यम से ३ साल से ६ साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थय एवं पोषाहार, की व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी ।

४. प्रगति बाल विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रो में वार्ड स्तरीय प्रगति बाल विद्यालय की स्थापना की जा रही है। इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलने हेतु सेविका, सहायिका, सुपरवाइजर एवं पंचायत शिक्षक की नियुक्ति संस्था के आधार पर की जा रही है ।

५. कन्या विवाह योजना :- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संस्था अपने सदस्यों के परिवार के लिए शादी कोष का गठन किया है जिसमे सदस्य के परिवार के बच्चे जिनकी आयु ०-१३ वर्ष तक है उनका पंज़ीयन करती है । अनाथ एवं शारीरिक दिव्यांग बच्चों के लिए पंजीयन निःशुल्क है । १८ वर्ष की

आयु के उपरांत शादी होने पर प्रोत्साहन राशी अनुदान स्वरूप विवाह सामग्री के साथ शादी समारोह में दी जाती है ।

६. प्रगति शिशु विद्यालय :- यह विद्यालय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर खोला जाता है। इस विद्यालय में प्रथम कक्षा से पांचवी कक्षा तक के बच्चों का नामांकन किया जाता है। नामांकन के समय मात्र १२५ रूपये नामांकन शुल्क है। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी ,पेंसिल ,स्लेट ,रबर ,कटर प्रति माह संस्था द्वारा मुफ्त दिया जाता है। इस विद्यालय के खुलने का समय सुबह 7 :30 बजे से 9 :30 तक दो घंटे तक होगा। इस विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रेरक शिक्षक नियुक्त किये जाते है जिसे प्रोत्साहन राशि के रूप में 3500 रूपये संस्था द्वारा दय होगा। प्रेरक शिक्षक की योग्यता इण्टर पास होगी।

७ . पर्यावरण संरक्षण :- पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगो को जागरूक करना एवं वृक्ष-रोपण को बढ़ावा देना । हरित क्रांति के क्षेत्र मे सरकार की विभिन्न योजनाओ से ग्रामीण क्षेत्रों को अवगत करना ।

८ . रक्त दान शिविर अभियान :- रक्त दान जीवन दान के अंतर्गत आम लोगो को जागरूक करना और बिहार के विभिन्न जिलो मे रक्त दान शिविर लगाना ताकि प्रकृतिक आपदा एवं आपातकालीन स्थिति मे स्वास्थय जन सेवा मे सहयोग करना ।

९ . स्वक्छता अभियान :- भारत सरकार के कार्यकर्म स्वक्छता अभियान और खुले मे शौच मुक्त भारत को विभिन्न माध्यम जैसे जागरूकता शिविर, नुक्कड़ नाटक द्वारा आम जनता को जागरूक करना ।

१०. कोविड १९ के प्रति पुरे राज्य के विभिन्न जिलों के प्रखंड एवं पंचायत स्तर आम जनता को जागरूक करना एवं टीका लेने के लिए प्रेरित करना।

प्रार्थना है कि जिले के सभी जिला पधाधिकारी एवं प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया को सूचनार्थ एवं उनके अधीनस्त विकास मित्र/वार्ड सदस्य को सूचनार्थ एवं उनको अवगत कराने अपेक्षित सहयोग हेतु निर्देश देने की कृपा करे ।

संस्था इस कार्य के लिए आपका आभारी रहेगी ।

अध्यक्ष//सचिव
प्रगति बाल विकास योजना
मुजफ्फरपुर